रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 1974/ज्येष्ठ 2, 1896
No. 235] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 1974/JAISTHA 2, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library
Govt. of India

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 23rd May 1974

S.O. 319(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 305(E), dated the 30th May, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as the Bihar Cooperative Weavers' Spinning Mills Limited, Mokameh (Bihar) or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities

accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period of one year.

[No, F. 28013/39/73-NTC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 मई, 1974

का० आ० 319 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 305 (ड०) तारीख 30 मई, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित को छोड़ कर) के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिसका बिहार कोआपरेटिव बीवर्स स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मोकामेह (बिहार) नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निलम्बित रहेंगे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाती है।

[सं० फा० 28013/39/73—एन० टी० सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974